भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

No. C/16/2009-MPLADS

Dated : **08.04.2010**

To

The Commissioners,
Municipal Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi
Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners

Subject: Additional conditions for recommending MPLADS funds for creating public utility building works through Trusts/Societies.

The conditions relating to recommending MPLADS funds for creating community infrastructure and public utility building works for Registered Trusts/Societies are laid down in para 3.21 of the Guidelines.

2. Para 3.21 prohibits recommendation of funds by an MP to a Trust/Society in which he/she or his/her family member (includes spouse, parents, brothers and sisters, children, grand children and their spouses and their in-laws) is involved as a Chairman/Member. However, it has been pointed out by district/state officials that funds are recommended by MPs to a Society/Trust in which some other MP or his family member is involved either as a Chairman/Member and that MP in turn recommends to the Societies/Trusts in which the earlier MP is involved, so as to give mutual benefits under the Scheme.

3. Similarly, the district/state officials have been raising the issue that when funds are recommended towards Trusts/Societies, the said institutions do not furnish the requisite documents required under para 3.21 and Annexure-V of the Guidelines for the scrutiny of district officials on time, leading to inordinate delay in the sanctioning and execution of these works. Sometime proper scrutiny also does not take place.

4. In this context, it has been decided to include the following two conditions, in addition to the existing conditions of para 3.21:-

- ***Funds cannot be recommended under MPLADS to any Society/Trust in which any sitting Member of Parliament or his/her family member (spouse and children) is the President/Chairman or Member of the Managing Committee or a Trustee of the Society/Trust. A Society/Trust to which MPLADS funds have been recommended for creating building assets has to give an affidavit that no sitting Member of Parliament of India or his/her family member(s) (Spouse and Children) is the President/Chairman or Member of Managing Committee or Trustee of the Society/Trust.***

- ***When funds are recommended towards a Society/Trust by a Member of Parliament and clarifications/documents as required under the Guidelines for scrutiny before sanctioning are requested by the District Authorities, the said Society/Trust should provide the requisite documents within a maximum period of three months from the date of receipt of the letter from the district administration. In case the documents are not received even after a period of three months, the district administration can send two reminders within a month. If the required information is still not received, the recommendation by the MP towards the Trust/Society may be treated as cancelled by the district administration and intimation of the same may be given to the recommending MP as well.***

Yours faithfully,

RRajesh

(R. Rajesh)
Director

Copy for information to:

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha).
2. The Secretaries, Nodal Departments, dealing with MPLADS (All States/UTs).
3. Director, Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
4. Director, Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं. सी/16/2009-एमपीलैड्स

Dated 08.04.2010

सेवा में

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः ट्रस्टों/सोसाइटियों के माध्यम से जनोपयोगी भवन कार्यों के निर्माण के लिए एमपीलैड्स निधि की अनुशंसा हेतु अतिरिक्त शर्तें ।

पंजीकृत ट्रस्टों/सोसाइटियों के लिए सामुदायिक अवसंरचना तथा जनोपयोगी भवन कार्यों के निर्माण के लिए एमपीलैड्स निधि की अनुशंसा करने से संबंधित शर्तें दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 में दी गई हैं ।

2. पैरा 3.21 के अनुसार कोई सांसद किसी ऐसे ट्रस्ट/सोसाइटी के लिए निधि की अनुशंसा नहीं कर सकता जिसमें वह या उसके परिवार का सदस्य (पत्नी/पति, माता-पिता, भाई और बहन, बच्चे, पोते-पोतियां और उनके पति/पत्नियां तथा उनके ससुराल वाले) अध्यक्ष/सदस्य के रूप में शामिल है । तथापि, जिला/राज्य के अधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया है कि सांसद उस न्यास/सोसाइटी के लिए निधि की अनुशंसा करते हैं जिसमें अन्य कोई सांसद अथवा उसके परिवार का सदस्य अध्यक्ष/सदस्य के रूप में शामिल है और बदले में वह सांसद उन सोसाइटियों/ट्रस्टों के लिए निधि की अनुशंसा करता है जिसमें पूर्वोक्त सांसद शामिल होता है, ताकि योजना के अंतर्गत एक दूसरे को लाभ पहुंचाया जा सके ।

3. इसी प्रकार, जिला/राज्य के अधिकारी यह मुद्दा भी उठाते रहे हैं कि जब ट्रस्टों/सोसाइटियों के लिए निधि की सिफारिश की जाती है, तब वह संस्थान दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 और अनुबंध-V के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज़ जिला अधिकारियों को जांच के लिए समय पर प्रस्तुत नहीं करते है; जिससे इन कार्यों को मंजूर करने और निष्पादित करने में अत्यधिक विलंब हो जाता है । कभी-कभी तो समुचित जांच भी नहीं हो पाती है ।

4. इस संदर्भ में, पैरा 3.21 में मौजूदा शर्तों के अलावा, निम्नलिखित दो शर्तों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है:-

- *एमपीलैड्स के अंतर्गत किसी सोसाइटी/ट्रस्ट के लिए निधि की अनुशंसा नहीं की जाएगी जिसमें कोई वर्तमान सांसद या उसके परिवार का सदस्य (पति/पत्नी और बच्चे) अध्यक्ष/सभापति या प्रबंध समिति का सदस्य अथवा सोसाइटी/ट्रस्ट का ट्रस्टी हो । उस सोसाइटी/ट्रस्ट को, जिसे भवन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए एमपीलैड्स निधि की अनुशंसा की गई है, उसे एक शपथ-पत्र देना होगा कि भारतीय संसद का कोई वर्तमान सांसद या उसके परिवार का सदस्य (पति/पत्नी और बच्चे) उस सोसाइटी/ट्रस्ट का अध्यक्ष/सभापति या समिति का सदस्य अथवा ट्रस्टी नहीं है ।*

- *जब किसी सांसद द्वारा किसी सोसाइटी/ट्रस्ट के लिए निधि की अनुशंसा की जाती है तथा उसकी मंजूरी से पूर्व जिला प्राधिकारियों द्वारा दिशानिर्देशों के अधीन अपेक्षित स्पष्टीकरण/दस्तावेज़ जांच के लिए देने का अनुरोध किया जाता है, तो उक्त सोसाइटी/ट्रस्ट जिला प्रशासन से पत्र प्राप्त होने की तारीख से अधिक से अधिक 3 महीने की अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज़ उपलब्ध कराए । यदि 3 महीने की अवधि के बाद भी दस्तावेज़ प्राप्त नहीं होते हैं, तो जिला प्रशासन 1 महीने के भीतर दो अनुस्मारक भेज सकता है । यदि अपेक्षित जानकारी तब भी प्राप्त नहीं होती है, तो सांसद द्वारा ट्रस्ट/सोसाइटी के लिए की गई अनुशंसा को जिला प्राधिकारी द्वारा रद्द माना जाए और इसकी सूचना अनुशंसा करने वाले सांसद को भी दी जाए ।*

भवदीय,

आर. राजेश

(आर.राजेश)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय सांसद (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित सचिव, नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. विशेष कार्य अधिकारी, एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।